आवेदित जिला———————— फार्म का मूल्य 1000 रू. +जीएसटी

आवेदन – प्रपत्र

गैर–अनुदानित दर पर बीज विक्रय हेतु प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्ति प्रस्ताव

(वर्ष 2025–2026 से 2027–2028)

अंतिम दिनांक समय सायं 5:00 बजे तक

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

पंत कृषि भवन,तृतीय तल, जनपथ, जयपुर –302005

E mail:- rajseedsmarketing @gmail.com,

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड़
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005

प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्ति हेतु आवेदन

कृपया बिन्दूवार वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण दें। जो आपके संदर्भ में लागू न हो उसको काट दें। यदि कहीं स्थान कम हो तो अलग सादे कागज पर विवरण संलग्न करें।

<u>खण्ड – क सामान्य</u>

1. संस्थान/फ़र्म का नाम : ....

2. पत्र व्यवहार का पता : ....

3. स्थायी /पंजीकृत पता : ....

....

4. दूरभाष : ....

5. मोबाइल नम्बर : ....

6. ईमेल का पता : ....

7. साप्ताहिक अवकाश का दिवस : ....

8. कार्यालय खुलने का समय : ....

9. स्वामित्व की स्थिति : एकल स्वामित्व/साझा व्यवसाय/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/सहकारी संस्थान

(जो लागू न हो उसे कृपया काट देवे)

(कृपया उपरोक्त के साक्ष्य में आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए संलग्न करें जैसे : पार्टनरशिप डीड/आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन आदि)

10. फर्म का टिन नम्बर (सेल्स टैक्स): ....

11. प्रमुख निर्णयकर्ता/ कार्यकारी अधिकारी :–

क्र.सं.	नाम	उम्र	पद	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	दूरभाष	मोबाईल नम्बर
1							
2							
3							

12. बीज लाइसेंस नम्बर व वैधता अवधि/दिनांक (फोटोप्रति संलग्न करें):..

13. पैन नम्बर : ....

14. आधार नम्बर : ....

15. जीएसटी विवरण ....

16. एस.एस.ओ. आईडी ....

17. राजस्थान राज्य बीज निगम के अधिकृत विक्रेता नियुक्ति पत्र सं.................................दिनांक............ .... वैधता अवधि/दिनांक..

(कृपया बीज लाईसेंस व निगम के अधिकृत विक्रेता नियुक्ति/पुनर्मान्यता पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)

18. आवेदन प्रपत्र शुल्क रूपये 1180/— मय जीएसटी, रसीद सं. .... दिनांक ....
.(आवेदन प्रपत्र निगम की वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में राशि रू. 1180/— मय जीएसटी का डी.डी. अलग से संलग्न करना अनिवार्य है)।

अमानत राशि रूपये 1,00,000/— (जिलेवार एक से अधिक जिले के लिये आवेदन करने की स्थिति में प्रति जिला अमानत राशि 1,00,000/— होगी।) डी.डी./NEFT/RTGS. .... दिनांक ....जारीकर्ता बैंक .... (उक्त धरोहर राशि अधिकृत विक्रेता धरोहर राशि के अतिरिक्त है। डी.डी के माध्यम से जमा करवाने की स्थिति में डी.डी. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान स्टेट सीड्स कॉपोरेशन लिमिटेड़ के नाम पर जारी करवाये। फर्मो द्वारा ऑनलाईन राशि जमा करवाने पर जमा करवाई गई राशि की रसीद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा ऑनलाईन राशि जमा करवाने के लिए निगम के खाते का विवरण निम्नानुसार है:—

1	संस्था का नाम:—	राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर
2	बैंक का नाम:—	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
3	खाता संख्या :—	51052136667
4	आई.एफ.एस.सी. कोड:—	SBIN0031781
5	ब्रॉच का नाम :—	कॉमर्सियल ब्रांच, जयपुर।

खण्ड – ब – राजस्थान राज्य बीज निगम (रा.रा.बी.नि.) के साथ प्रस्तावित व्यवसाय :

19. राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन के साथ परिशिष्ट तीन अनुसार व्यवसाय जिले का नाम .... .एवं प्रस्तावित व्यवसाय विवरण (राशि लाख रूपये में) ....(वित्तीय वर्ष 2025–2026) .नोट:– वर्ष 2026–27 व 2027–28 का प्रस्तावित व्यवसाय बुवाई सीजन से पूर्व (बीज उत्पादन से पूर्व) प्रस्तुत करना होगा।

20. आप द्वारा बीज व्यवसाय से संबंधित अनुमानित जिलेवार खुदरा विक्रेताओं की कुल संख्या .... (आवश्यकता अनुसार खुदरा विकेताओ की संख्या कम या ज्यादा किया जा सकेगा।)

21. क्या आप रा.रा.बी.नि. की परिशिष्ट 3 में अंकित शर्तो को मानने को तैयार हैं ? हाँ / नहीं

नोट : प्रतिबद्ध विकेता नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप एक प्रति परिशिष्ट 03 को मय हस्ताक्षर के संलग्न करना अनिवार्य है।

22. कुल संलग्नकों की संख्या ....

स्थान :

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ठ – एक

(प्रमुख बैंक का विवरण एवं वार्षिक टर्नऑवर)

1. बैंक का नाम : ....
2. बैंक का पता : ....
3 MICR कोड संख्या :..
4 खाता संख्या : ....
5. सीए द्वारा प्रमाणित वार्षिक टर्न ऑवर का विवरण(सीए ऑडिटेड कॉपी) : ....

(राशि रूपये लाख में)

क्र.स.	वर्ष	कुल टर्न ऑवर	कुल बीजो की टर्न ऑवर	राजसीड्स के बीजों के कारोबार का कुल टर्न ऑवर
1	2022–2023			
2	2023–2024			
3	2024–2025			

विक्रेता का नाम

दिनांक : हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ठ –दो

(बीज व्यवसाय से संबंधित अधिकृत/नामांकित खुदरा विक्रेता)

क.सं.	फर्म का नाम	फर्म का पता व फोन नं./मोबाइल नं
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

विक्रेता का नाम

हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ठ–तीन

जिलेवार प्रतिबद्ध विक्रेता की नियुक्ति संबंधी नियम व शर्ते

1. राजसीड्स के गैर अनुदानित दर पर बीज विक्रय हेतु प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्त किये जावेगे।
2. प्रतिबद्ध विकेता को आवेदन पत्र में जिले का नाम एवं जिले में राजसीड्स के बीजों के कारोबार के लक्ष्य प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे । बीज व्यवसाय हेतु जिले का नामं एवं राजसीड्स के बीजों के कारोबार के संदर्भ में कारोबारी लक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर आवेदन स्वीकार नही होगे।
3. न्यूनतम निर्धारित लक्ष्य राशि रूपये पचास लाख से अधिक कारोबारी लक्ष्य प्रस्तुत करने वाले प्रतिबद्ध विक्रेताओं को ही चयनित किया जायेगा।
4. एक ज़िले के लिये एक से अधिक प्रतिबद्ध विकेताओं के आवेदन प्राप्त होने की स्थिति मे संबंधित जिले के (स्थानीय) प्रतिबद्ध विकेता को प्राथमिकता दी जावेगी।

   आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा आवेदित क्षेत्र हेतु कारोबार के लिये अपने अधिकृत विकेताओ/नामांकित विकेताओ की सूची प्रस्तुत की जानी आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता की सूची मे आवेदित क्षेत्र हेतु कारोबार के लिये अपने अधिकृत विकेताओ/नामांकित विकेताओ के नाम भिन्न होने चाहिये। यदि किसी स्थिति मे दो अथवा अधिक आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा आवेदित क्षेत्र मे कारोबार के लिये अपने अधिकृत विकेताओ/नामांकित विकेताओ की सूची मे समान अधिकृत विकेताओ/नामांकित विकेता का नाम प्रस्तुत किये जाने पर अधिकृत विकेताओ/नामांकित विकेता से लिखित सूचना के आधार पर ही प्रतिबद्ध विकेता का निर्धारण किया जावेगा।
5. वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक के लिये आवेदन प्राप्त करते हुये वर्ष 2025–2026 हेतु जिलेवार कारोबारी लक्ष्य के आधार पर प्रतिबद्ध विकेता नियुक्त किये जावेंगे। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु नियुक्ति वर्ष 2025–26 के आंकलन एवं आगामी सीजन में प्रस्तावित बीज व्यवसाय अर्थात बीज की मांग, बीज की उपलब्धता अनुसार नियुक्ति/नवीनीकरण किया जावेगा।
6. आवेदक प्रतिबद्ध विकेता द्वारा फसल एवं किस्मवार विकय किये जाने वाले प्रमाणित/सत्यचिन्हित बीजो की मात्रा की मांग के प्रस्ताव, मय अनुमानित राशि एवं अंतिम संभावित उठाव तिथि से निगम को प्रत्येक सीजन के डेढ माह पूर्व सम्बन्धित क्षैत्रीय/संयंत्र प्रबन्धक व मुख्यालय को उपलब्ध करवाया जावेगा। जिसकी पुष्टि मुख्यालय आवंटन व अन्तिम उठाव तिथि के आधार पर क्षैत्रीय/संयंत्र प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित विकेता को की जावेगी।
7. अनुमानित राशि की गणना हेतु निगम के घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य अथवा इसके अभाव में गत वर्ष के अधिकतम खुदरा मूल्य आधार होंगा।
8. निगम एवं प्रतिबद्ध विकेता के स्तर पर फसल किस्म के उठाव में बीज उपलब्धता के आधार पर 25 प्रतिशत परिवर्तन किया जा सकेगा। परन्तु कारोबार राशि अपरिवर्तनीय होगी। पहले आओ पहले पाओ /आनुपातिक के आधार पर पुष्टि की जावेगी।
9. सीजन मे बींज उपलब्धता अनुसार प्रतिबद्ध विक्रेता को प्राथमिकता पर बीज उपलब्ध कराया जायेगा। प्रतिबद्ध विक्रेताओं को बीज मांग खरीफ सीजन हेतु 30 अप्रेल तक एवं रबी सीजन में सरसों, चना एवं अन्य बीजो की मांग 31 अगस्त तक एवं गेहूँ, जौ की मांग संयंत्र कार्यालय पर 30 सितम्बर तक प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। बीज उपलब्धता अनुसार तथा मांग के अनुसार सामान्य विक्रय हेतु बीज आवंटन पत्र जारी किया जावेगा। स्वीकृत बीज उठाव कार्यकम मे

इकतरफा परिवर्तन ना तो निगम द्वारा किया जा सकेगा ओर ना ही प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा अर्थात् निगम द्वारा सूचित नियत तिथि तक (खरीफ सीजन के लिये 10 जून, रबी सीजन के लिये सरसों चना 15 अक्टूबर , जौ, गेहूँ 1 नवम्बर तक) प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा माल नही उठाने पर निगम द्वारा यह बीज अन्य विकेताओ को दे दिया जावेगा तथा यदि आरक्षित बीज मात्रा में से बीज अवशेष रहता है तो शेष अवशेष रहे बीज की राशि की, 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जावेगी। मौसमी परिस्थितियो के आधार पर प्रबन्ध निदेशक महोदय के स्तर से तिथि परिवर्तन किया जा सकेगा।

10. आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा निगम से स्वीकृत क्षेत्र हेतु कारोबारी लक्ष्य निगम के प्रमाणित/सत्यचिन्हित बीजो से पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा तथा प्रतिबद्ध विक्रेता के कुल कारोबार की गणना उसके अधीन कार्य करने वाले अधिकृत विकेताओ/नामांकित विकेताओ के कारोबार प्रतिबद्ध विक्रेता को सम्मिलित करते हुए की जावेगी। परन्तु निम्न कारोबार इसमें नही जुडेगा:-

क. आई.टी.सी. जैसी मल्टीनेशनल कम्पनी द्वारा किया गया कारोबार तथा अन्य संस्था विशेष जिसके साथ निगम मुख्यालय द्वारा पृथक से अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया हो। निगम मुख्यालय द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया हो।

ख. राजफैड एवं सहकारी क्षेत्र द्वारा किया गया कारोबार।

ग. राजकीय क्षेत्र में किया गया कारोबार।(मिनिकिट्/प्रदर्शन/विभागीय आपूर्ति आदि)

घ. कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषक सलाहकार समितियाँ व स्वंय सेवी संस्थाएं, जो निगम मुख्यालय के निर्देशानुसार बीज उठाती है।

च निगम की इकाई एवं राजसीड्स बीज विकय केंद्रों द्वारा किया गया बीज विकय की सकल कारोबार राशि ।

11. प्रतिबद्ध विकेता द्वारा दिये गये कारोबारी लक्ष्य पूर्ण करने पर विपणन नीति अनुसार व्यापारिक छूट देय होगी। कारोबारी लक्ष्य पूर्ण नही किये जाने पर प्रतिबद्ध विकेता द्वारा किये गये वास्तविक कारोबार पर ही विपणन नीति के प्रावधान अनुसार व्यापारिक छूट देय होगी।

12. प्रतिबद्ध विक्रेताओं को एफ.ओ.आर सुविधा विपणन नीति अनुसार ही देय होगी।

13. प्रतिबद्ध विकेता को उनके द्वारा किये गये वार्षिक कारोबार पर व्यापारिक छूट की गणना क्षेत्रीय/ संयंत्र कार्यालय स्तर से की जावेगी।

14. अग्रिम आरक्षण योजना परिलाभ मुख्यालय द्वारा घोषित किये जाने पर ही एवं उसकी शर्तो के अनुरूप ही लागू माने जावेंगे।

15. प्रतिबद्ध विक्रेता को बीज की आपूर्ति उनके द्वारा बीज की राशि ड्राफ्ट/आरटीजीएस/नैफ्ट आधार पर जमा कराने पर ही उपलब्ध करवाया जावेगा।

16. बीज अनुज्ञा पत्र के आधार पर प्रतिबद्ध विक्रेता एक जिले / एक से अधिक जिले हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा एक से अधिक जिलों में बीज व्यापार करने हेतु बीज अनुज्ञा पत्र है तो वह एक से अधिक जिलों के लिये भी आवेदन कर सकता है। इस हेतु प्रत्येक जिले के अनुसार उसे अमानत राशि जमा करवानी होगी। स्थानीय जिले हेतु इच्छुक बीज विकेता को प्राथमिकता दी जावेगी।

17. प्रतिबद्ध विकेता द्वारा सम्बन्धित वर्ष के कारोबारी लक्ष्य पूर्ण करने के दावे आगामी वित्तीय वर्ष अप्रेल माह की अंतिम तिथी/दिनांक तक आवश्यक रूप से निगम संयंत्र/क्षैत्रीय कार्यालय मे

प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए। इस अवधि के बाद प्राप्त किये दावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

18. बीज विक्रेता जिनके पास वैध बीज अनुज्ञा पत्र है राजसीड्स के प्रतिबद्ध विक्रेता हेतु आवेदन कर सकते है। नये बीज विक्रेताओं को प्रतिबद्ध विक्रेता की नियुक्ति तक निगम के अधिकृत बीज विक्रेता नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।

19. प्रतिबद्ध विक्रेता हेतु आवेदन कर रहे, आवेदनकर्ता को प्रति जिला राशि रू. 100000/– (एक लाख रूपये) बतौर न्यूनतम अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् प्रति जिला अनुसार स्वीकृत लक्षित कारोबार की राशि का 2 प्रतिशत धरोहर राशि (उक्त जमा रूपये 100000/– को समायोजित करते हुए) ड्राफ्ट/आरटीजीएस/नैफ्ट से जमा करवानी होगी। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

20. प्रतिबद्ध विक्रेताओ द्वारा स्वयं के क्षेत्र में ही बीज वितरण किया जावेगा अन्य प्रतिबद्ध विक्रेताओं के क्षेत्र में बीज वितरण की शिकायत प्राप्त होने पर प्रतिबद्ध विक्रेता की नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

21. प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा निर्धारित क्षेत्र में कार्यरत अधिकृत विक्रेताओ/ नामांकित विक्रेताओ के कारोबार की गणना ही सम्मिलित की जावेगी। इस बाबत् शिकायत मिलने तथा पुष्टि होने पर अन्य अधिकृत विक्रेताओ की बिक्री पर देय अन्तर राशि का भुगतान तथा लक्ष्य से अधिक सकल कारोबार करने पर देय व्यापारिक छूट राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

22. आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता द्वारा आवेदन के समय दी गई सूचना असत्य होने या स्वयं द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों की स्वीकृति उपरान्त सहमति नहीं देने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये तदनुसार अमानत राशि जब्ती/लौटाने की कार्यवाही की जावेगी।

23. प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्ति को बगैर कारण अवगत् कराये निरस्त करने आवेदित क्षेत्र में परिवर्तन करने/लक्ष्य अधिक अथवा कम करने/जिले में एक प्रतिबद्ध विक्रेता/क्षेत्र में एक या अधिक प्रतिबद्ध विक्रेता की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड को होगा ।

24. विशेष परिस्थिति में अकाल, बाढ़, प्रतिकूल परिस्थितियों में कारोबारी लक्ष्यों में संशोधन वरिष्ठ अधिकारियों की कंमेटी की अनुशंषा के आधार पर प्रबंध निदेशक महोदय के स्तर से संशोधन किया जावेगा। इस हेतु संबंधित प्रतिबद्ध विक्रेता को प्रतिकूल परिस्थिति के पुष्ट दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध करवाये जाने होंगे ।

25. उपरोक्तानुसार पूर्ण नियम व शर्तो की पालना करते हुये आवेदक बीज विक्रेताओ को क्षेत्रीय/संयंत्र कार्यालय मे आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक आवेदक बीज विक्रेताओ के आवेदन पत्र की जॉच कर योग्य आवेदक बीज विक्रेताओ के आवेदनपत्र संकलित कर निर्धारित तिथि तक मुख्यालय अग्रेषित करेंगें।

26. राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा जारी नियम एवं शर्तों में संशोधन प्रतिबद्ध विक्रेता को मानने होंगे।

मैंने प्रतिबद्ध विकेता नियुक्ति की उपरोक्त शर्तो को स्वस्थ चित्त से पढ ली है तथा समझ ली है। मै इससे पूर्णतया सहमत हूं। प्रतिबद्ध विकेता नियुक्ति प्रस्ताव उपरोक्त शर्तानुसार ही दिया जा रहा है।

आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता का नाम
आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर मय सील व दिनांक

नोट :– आवेदन प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर आवेदनकर्ता फर्म प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

RAJASTHAN STATE SEEDS COROPRATION LIMITED			
Kharif 2025 Expected Certified seed availability for Committed Dealers			
S.N	Crop	Variety	Quantity in Qtls
1	Bajra	MPMH-17	255
		Total Bajra	*255*
2	Jowar	CSV-15	10530
		CSV-41	21804
		Total Jowar	*32334*
3	Cowpea	RC-19	55
4	Guar	HG-2-20	149
		RGC-1033	327
		Total Guar	*476*
5	Moong	SML-832	127
		MH-421	4192
		MH-1142	20000
		IPM-410-03 (Shika)	10000
		GAM-5	1000
		GAM-6	1000
		Total Moong	*36320*
6	Moth	RMO-2251	7000
		Total Moth	*7000*
7	Paddy	Pusa-1509	142
		PB-1121	52
		Pusa-1431	209
		Pusa Basmati-6	80
		Total Paddy	*483*
8	Soybean	JS-9560	971
		JS-20-98	2000
		JS-20-116	2000
		Total Soybean	*4971*
9	G.Nut	Girnar-4	22
		RG-578	630
		RG-559-3	461
		Total G.Nut	*1113*
10	Til	RT 372	268
		Total Til	*268*
	G.Total		*83274*

RAJASTHAN STATE SEEDS COROPRATION LIMITED

Rabi 2025-2026 Expected Certified seed availability for Committed Dealers

S.N	Crop	Variety	Quantity in Qtls
1	Mustard	RH-725	1000
		RH-761	1000
Total Mustard			2000
2	Taramira	RTM-1355	1000
Total Taramira			1000
3	Gram	GNG-1581	12496
		GNG-2171	60000
Total Gram			72496
4	Wheat	RAJ-4037	12000
		HD-2851	16000
		RAJ-4238	100000
		DBW-222	1000
		DBW-187	1000
		DBW-303	1000
		DBW-327	1000
		DBW-296	1000
		DBW-332	1000
		DBW-371	1000
		WH-1270	2000
		HD-3226	1000
		HI-1636	1000
		HI-1634	1000
Total Wheat			140000
5	Barley	RD-2035	2377
		RD-2794	3385
Total Barley			5762
6	Lentil	Kota-03	500
		Kota-04	300
Total Lentil			800
7	Cumin	GC-4	200
Total Cumin			200
Grand Total			222258

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन

प्रतिबद्व विकेता की नियुक्ति हेतु संलग्नलकों की चैक लिस्ट

क्र.सं.	दस्तावेज	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	आवेदन प्रपत्र शुल्क रूपये 1000/– +जीएसटी का डिमाण्ड ड्राफ्ट ./ **ऑनलाईन राशि जमा करवाने पर जमा करवाई गई राशि की रसीद**	संलग्न करे ।	{ }
2	न्यूनतम अमानत राशि रूपये 100000/ का डिमाण्ड ड्राफ्ट /**ऑनलाईन राशि जमा करवाने पर जमा करवाई गई राशि की रसीद**	संलग्न करे ।	{ }
3.	यदि फर्म साझेदार फर्म/कम्पनी है तो साझेदार प्रपत्र/कम्पनी MOA की प्रति एवं फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।	संलग्न करे ।	{ }
4.	बीज लाइसेंस नम्बर व मान्यता तिथि	संलग्न करे ।	{ }
5.	निगम का अधिकृत विक्रेता नियुक्ति पत्र सं./ दिनांक व मान्यता तिथि	संलग्न करे ।	{ }
6.	पैन नंबर	संलग्न करे ।	{ }
7.	GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र	संलग्न करे ।	{ }
8.	प्रमुख बैंक का विवरण एवं वार्षिक टर्न ऑवर के विवरण की सीए ऑडिटेड कॉपी (परिशिष्ठ – एक)	संलग्न करे ।	{ }
9.	आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता का प्रस्तावित जिले का नाम	पृ. सं. 3 पर अंकित करें।	{ }
10.	आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता का प्रस्तावित प्रस्तावित जिले का कारोबार लक्ष्य (राशि लाख रूपये में)	पृ. सं. 3 पर अंकित करें।	{ }
11.	प्रतिबद्ध विक्रेता फर्म के अधिकृत विकेताओ/ नामांकित विकेताओ का विवरण **(परिशिष्ठ – दो)**	संलग्न करे ।	{ }
12.	राजस्थान राज्य बीज निगम के बीजों का प्रस्तावित विकय विवरण वर्ष 2025–2026 (अनुमानित मांग फर्म के लेटर हैड पर)	संलग्न करे ।	{ }
13.	पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता की मोहर एवं हस्ताक्षर हो।	संलग्न करे ।	{ }

नोटः– उपरोक्तानुसार दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर आवेदन निरस्त समझा जावेगा।

आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता का नाम
आवेदक प्रतिबद्ध विक्रेता फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर मय सील व दिनांक